



शशि भूषण कुमार, *भा०प्र०से०*  
सचिव, स्वास्थ्य –सह–  
कार्यपालक निदेशक

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/2067/2016/.....

दिनांक : ...../07/2017

## —:आदेश:—

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन सं० 07/16 {पी०आर०सं० 4938(नि.नि.)16-17} के आलोक में आदेश ज्ञापांक 5356 दिनांक 22.11.2016 एवं आदेश ज्ञापांक 8238 दिनांक 23.03.2017 के तहत नियोजित अभ्यर्थियों के द्वारा निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने के कारण बची हुई रिक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के FRU में विशेषज्ञ चिकित्सक—MD Medicine के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-9 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित जिला के सदर अस्पताल में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	पंजीयन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पता	कोटि	गृह जिला	पदस्थापन	मानदेय/ प्रतिमाह (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2304014	Dr Madhusudan Jha, MD	01.03.1981	Flat No.- 306, RGS Greens Apt, Rajapur Pool, Patna-01	UR	Patna	Vaishali	1,00,000/-
2	2304023	Dr Abhishek Shekhar Sinha, MD	20.08.1979	Opp. Ambedkar Bhawan, Thane Road, Gopalganj - 841 428	UR	Gopalganj	Gopalganj	1,00,000/-
3	2304009	Dr Anjani Kumar, MD	10.11.1974	Dumri Mahananda, PO-Majhauria, West Champaran - 845 454	UR	West Champaran	West Champaran	1,00,000/-
4	2304001	Dr Deepak, MD	05.09.1975	C/o Late Shive Nath Jha, Vill- Kalwara, PO -Rahua, PS-Rosera, Samastipur	UR	Samastipur	Khagaria	1,00,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-
  - i. दिनांक 10.08.2017 तक उपरोक्त स्तंभ-8 में अपने नाम के सामने अंकित जिला के सदर अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
  - ii. योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 14.08.2017 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
  - iii. नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/DNB उपाधि का Bihar Medical Council में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावे अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
  - iv. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।



# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



- v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा, जिसमें प्रारंभ से 6 (छः) माह परीक्षा (Probation) अवधि होगी। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
  - vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
  - vii. आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
  - ix. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
  - x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन MD Medicine के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 9 में अंकित एकमुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान जिलास्तर से किया जाएगा।
3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, सदर अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrccell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/—

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/2067/2016/.....2110..... पटना, दिनांक: 20/07/2017

**प्रतिलिपि:** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

**प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** अपर निदेशक-वित्त/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-MH, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट [www.statehealthsocietybihar.org](http://www.statehealthsocietybihar.org) पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

*Sh*

19.7.2017  
सचिव, स्वास्थ्य

-सह-

कार्यपालक निदेशक

*Sh*